मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 2–42/08/अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक : 7/06/2010

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः–रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वरोजगार योजना में संशोधन।

इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 6–47/05/ए–ग्यारह दिनांक 6/2/2006 से संशोधन उपरांत स्वीकृत रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना के नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) योजना की कंडिका कमांक 16 (प्रशिक्षण) में निम्नानुसार नई उप कंडिका जोड़ी जाती है:–
"(स) बैंक/वित्तीय संस्थाओं से योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात ही हितग्राही को प्रशिक्षण दिया जाएगा।"

(2) योजना की कंडिका कमांक 20 (मार्जिन मनी सहायता सीमा) के नीचे निम्नानुसार टिप्पणी जोड़ी जाती है:–

"टिप्पणी:–

(1) म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से वित्त पोषित स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राही के अंशदान के अतिरिक्त रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अतः राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में जो मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया हो, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान उससे अधिक नहीं होगा।

(2) म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की बैंक ऋण योजनाओं के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को परियोजना लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा रूपये 15.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अन्तर्गत प्रदाय किया जाए।

(3) एक हितग्राही एक बार ही मार्जिन–मनीयोजना अथवा भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान में से किसी एक योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त कर सकेगा।

2..........

(3) योजना की कंडिका कमांक 27 (विविध) की निम्नानुसार उप कंडिका कमांक (3) विलोपित की जाती है :–

"ऐसे सभी हितग्राहियों,जिन्होंने स्वरोजगार इकाई के रूप में किसी उद्योग / सेवा इकाई की स्थापना की है, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के प्रचलित ब्याज अनुदान योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे।"

(4) योजना की कंडिका कमांक 27 (विविध) की उपकंडिका कमांक (10) में निम्नानुसार, नवीन पैरा जोड़ा जाता है

"एक हितग्राही को एक ही विभाग की ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।"

2/ इस हेतु आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के यू.ओ. कमांक 2244/एस/10 दिनांक 27/4/10 और वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 235/332/10/बी–2/4 दिनांक 28/5/10 से सहमति प्राप्त की गई है।

(अनिल भारतीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0 क्रमांक: एफ 2–42/08/अ–ग्यारह भोपाल दिनांक : /06/2010

प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त कमिश्नर मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

Pr.Its.doc